(7) अपराध को केवल एक काल्पनिक मामला माना जाना वर्णित है और ऐसा तभी हो सकता है जब परंतुक की सभी शर्तें भी पूरी हो जाएं।

(8) चेक का अनादरण केवल कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा था और अपराध तभी पूरा हुआ जब याचिकाकर्ता कंपनी लेनदारों (यहां शिकायतकर्ता) के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही। ऋण चुकाने या चुकाने के लिए, याचिकाकर्ताओं को अपने लेनदारों का पता लगाना होगा और चूंकि ऋणदाता का कार्यालय पिहोवा में था, इसलिए अपराध उसी स्थान पर पूरा हुआ और इस स्थिति में, मामले की सुनवाई करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र कुरुक्षेत्र के न्यायालय के पास था। विवादित शिकायत और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है। अन्य सभी दलीलें सुनवाई के समय याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगी। एम. एम. मलिक के अलावा अन्य याचिकाकर्ताओं के दायित्व के बारे में ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष आग्रह किया जा सकता है। तीनों आपराधिक विविध (ऊपर गिनाए गए) को इसके द्वारा खारिज किया जाता है।

(9) पक्षों को अपने विद्वान वकील के माध्यम से 12 मार्च 1991 को ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

एस.सी.के

माननीय न्यायमूर्ति जे. एस सेखों के समक्ष

ओम प्रकाश---- याचिकाकर्ता,

बनाम

विद्या देवी----प्रतिवादी

***Criminal Misc. No.* 2176-M *of* 1990.**

21 मार्च 1991.

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का द्वितीय) एस.एस. 125, 421, 48 पत्नी के पक्ष में दिया गया भरण- पोषण भत्ता, पति द्वारा भुगतान करने में विफलता - निष्पादन की कार्यवाही शुरू करना, पति

ओम प्रकाश बनाम विद्या देवी (जे.एस. सेखों, जे.)

द्वारा सेवा स्वीकार करने से इनकार करना - पति के खिलाफ पति की गिरफ्तारी के वारंट का आदेश देना - मजिस्ट्रेट द्वारा जबरदस्ती के तरीकों पर कार्रवाई करने में विफल होना - ऐसी प्रक्रिया अवैध है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना भरण- पोषण भत्ता देने के मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट देय राशि वसूलने के लिए जुर्माना लगाने के लिए प्रदान की गई विधि अनुसार वारंट जारी कर सकता है। जुर्माना लगाने के दो तरीके हैं, न्यायालय को इन दोनों तरीकों में से किसी एक या एक ही समय में दोनों को चुनने का अधिकार दिया गया है। इनमें से एक मोड सब- एस के तहत प्रदान किया गया है। (1) (ए) अपराधी की चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के माध्यम से राशि की वसूली के लिए वारंट जारी करना है और दूसरा कलेक्टर को वारंट जारी करना है जो उसे भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि का एहसास करने के लिए अधिकृत करता है। मोवा या अचल संपत्ति, या दोनों। मौजूदा मामले में, ट्रायल कोर्ट ने बकाया भरण- पोषण भत्ते की वसूली के लिए इनमें से किसी भी कठोर उपाय का सहारा लिया था, हालांकि टी के विवादित आदेश में इसका उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, कानूनी रूप से आक्षेपित आदेश विचरण न्यायलय के टिकाऊ नहीं होने के कारण इसे रद्द करने लायक है।

(पैरा 3 एवं 4)

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका। पी.सी. प्रार्थना है कि विद्वान अतिरिक्त द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 25 जनवरी, 1990 (अनुलग्नक पी-1) धारा 125(3) के तहत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरूक्षेत्र को न्याय हित में कृपया रद्द किया जाए।

आगे प्रार्थना की गई है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान, न्याय, समानता और निष्पक्ष खेल के हित में 25 जनवरी, 1990 के विवादित आदेश (अनुलग्नक पी-1) के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आदेश दिया जा सकता है।

वी.बी. अग्रवाल, याचिकाकर्ता के वकील ।

आकाश जैन, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से ।

निर्णय

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत कार्यवाही में, श्रीमती। विद्या देवी को रुपये की दर से भरण- पोषण भत्ता दिया गया। अपने लिए 150 प्रति माह और रु. अपने पति ओम प्रकाश के खिलाफ उनकी नाबालिग बेटी के लिए आवेदन की तारीख, यानी 9 मई, 1984 से 100 रुपये प्रति माह। यह विवादित नहीं है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अंतिम हो गया है क्योंकि इसके खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा और संहिता की धारा 482 के तहत याचिका को 1989 के 4919- एम में उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया था। ओम प्रकाश, पति या पिता, जैसा भी मामला हो। वह अपनी पत्नी और बेटी को भरण- पोषण भत्ते की राशि का भुगतान करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप विद्या देवी प्रतिवादी द्वारा उसके खिलाफ निष्पादन की कार्यवाही की गई। 25 जनवरी, 1990 को पति ओम प्रकाश अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर , हरियाणा